भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2765

जिसका उत्तर 08 अगस्त, 2024 को दिया जाना है।

.....

हिमनदीय झील टूटने से बाढ़ का प्रभाव

2765. श्री शफी परम्बिल:

श्री सुखदेव भगत:

डॉ. इन्द्रा हांग सुब्बा:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अक्तूबर 2023 में उत्तरी सिक्किम में तीस्ता-।।। जलविद्युत बांध के ढहने के विशेष आलोक में, विद्यमान और प्रस्तावित हिमालयी अवसंरचना हिमनदीय झील टूटने से बाढ़ (जीएलओएफ) के प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन शुरू किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सिक्किम जैसे असुरक्षित क्षेत्रों में अवसंरचना को सुदृढ़ करने और उस पर जीएलओएफ के जोखिमों का शमन करने के लिए किन नीतिगत परिवर्तनों पर विचार किया जा रहा है;

(ग) क्या हिमालय क्षेत्र में जीएलओएफ की निगरानी और पूर्व चेतावनी प्रणाली को बेहतर बनाने की योजना है और यदि हां, तो उनके कार्यान्वयन की समय-सीमा क्या है;

(घ) क्या मंत्रालय का हिमनदीय झीलों से उत्पन्न जोखिम के अध्ययन और शमन के लिए निधि आवंटित करने का विचार है और यदि हां, तो राष्ट्रीय जीएलओएफ मिशन की वर्तमान स्थिति के साथ ब्यौरा क्या है; और

(ङ) मंत्रालय द्वारा अब तक हिमनदीय झीलों और उनके द्वारा उत्पन्न जोखिम के अध्ययन संबंधी समर्थित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री राज भूषण चौधरी)

(क) और (ख): अक्टूबर, 2023 में तीस्ता-III जलविद्युत बांध के ढ़हने के बाद, केंद्रीय जल आयोग ने ग्लेशियल झील विस्फोट बाढ़ (जी.एल.ओ.एफ.) के प्रति संवेदनशील सभी मौजूदा और निर्माणाधीन बांधों की बाढ़ की डिजाइन की समीक्षा करने का फैसला किया है, ताकि संभावित अधिकतम बाढ़/मानक संभावित बाढ़ और जी.एल.ओ.एफ. के संयोजन के लिए उनकी पर्याप्त स्पिलवे क्षमता सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा, अपने जलग्रहण क्षेत्रों में ग्लेशियल झीलों वाले सभी नियोजित नए बांधों के लिए जी.एल.ओ.एफ. अध्ययन अनिवार्य कर दिया गया है।

(ग) और (घ): सी.डब्ल्यू.सी. हर साल जून से अक्टूबर की अवधि के दौरान 902 ग्लेशियल झीलों और जलाशयों (जिनमें 477 ग्लेशियल झीलें और जलाशय शामिल हैं, जिनका जल प्रसार क्षेत्र 50 हेक्टेयर से अधिक है और 425 ग्लेशियल झीलें जिनका आकार 10 हेक्टेयर से 50 हेक्टेयर है) की निगरानी करता है। इससे ग्लेशियल झीलों और जलाशयों के जल प्रसार क्षेत्र में सापेक्ष परिवर्तन का पता लगाने के

साथ-साथ आपदा के दृष्टिकोण से निगरानी वाले महीने के दौरान काफी हद तक विस्तारित होने की पहचान करने में मदद मिलती है। मासिक निगरानी रिपोर्ट https://cwc.gov.in/glacial-lakeswater-bodies-himalayan-region पर देखी जा सकती है।

एन.डी.एम.ए. के अंतर्गत आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर गठित समिति (सी.ओ.डी.आर.आर.), जिसमें छह हिमालयी राज्य/संघ शासित प्रदेश और अन्य हितधारक के प्रतिनिधि शामिल हैं, ने उच्च जोखिम वाली हिमनद झीलों की पहचान की है, ताकि इन झीलों का प्रत्यक्ष आकलन करने के लिए अभियान चलाए जा सकें और पूर्व चेतावनी प्रणाली/अन्य संरचनात्मक तथा गैर-संरचनात्मक उपाय स्थापित करने के संदर्भ में व्यापक शमन रणनीति तैयार की जा सके।

केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों के लिए 150 करोड़ रुपये की जीएलओएफ जोखिम शमन परियोजना को मंजूरी दी है, ताकि जी.एल.ओ.एफ. से संबंधित विभिन्न शमन उपायों को अपनाने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद की जा सके।

(ङ.): एन.डी.एस.ए. द्वारा संकलित सूचना के अनुसार, विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा 47 बांधों (38 परिचालनरत और 9 निर्माणाधीन बांध) की पहचान की गई है, जिनकी भारतीय क्षेत्र में ग्लेशियल झीलों से उत्पन्न ग्लेशियल झील विस्फोट बाढ़ (जीएलओएफ) से प्रभावित होने की संभावना है। 31 परियोजनाओं के लिए जी.एल.ओ.एफ. अध्ययन पूरा हो चुका है।

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय अपने स्वायत्त संस्थान, राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केन्द्र (एन.सी.पी.ओ.आर.) के माध्यम से वर्ष 2013 से चंद्रा बेसिन में दो हिमनद सहायक झीलों पर निगरानी और वैज्ञानिक अनुसंधान कर रहा है।

राष्ट्रीय हिमालयी अध्ययन मिशन (एन.एम.एच.एस.) द्वारा प्रायोजित अध्ययन, जिसका शीर्षक है "पूर्वी हिमालय के तीस्ता नदी बेसिन में हिम और ग्लेशियर का योगदान तथा जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव", राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रुड़की द्वारा सिक्किम हिमालय में ग्लेशियल झीलों की स्थिति पर रिपोर्ट तैयार की गई है।
